पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक /9735/अका. / 2013 रायपुर, दिनाँक 04/3 / 2013

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक गुरुवार, दिनांक 28.02.2013 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई । बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए–

1. डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. प्रो. (श्रीमती)आभा रूपेन्द्रपाल	–	सदस्य
3. प्रो.(श्रीमती) रीता वेणुगोपाल	–	सदस्य
4. प्रो. व्यासनारायण दुबे	–	सदस्य
5. प्रो. ए.के. शर्मा	–	सदस्य
6. प्रो. बी.के. शर्मा	–	सदस्य
7. डॉ. दीपक कारकून	–	सदस्य
8. डॉ. अरविंद गिरोलकर	–	सदस्य
9. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	–	सदस्य
10. डॉ. एम.आई. मेमन	–	सदस्य
11. डॉ. आर. बाला सुब्रमनियम	–	सदस्य
12. श्री एस.के. चक्रवर्ती	–	सदस्य
13. डॉ. जी.बी. गुप्ता	–	सदस्य
14. श्री ललित सुरजन	–	सदस्य
15. डॉ. रवि भोई	–	सदस्य
16. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त :

विषय क्रमांक–1

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.01.2013 एवं आपात बैठक दिनांक 18.02.2013 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय :

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.01.2013 एवं आपात बैठक दिनांक 18.02.2013 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

विषय क्रमांक–2

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.01.2013 एवं आपात बैठक दिनांक 18.02.2013 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय :

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.01.2013 एवं आपात बैठक दिनांक 18.02.2013 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक–3

सेमेस्टर एवं वार्षिक/पूरक परीक्षा 2012 में अनुचित साधन के तहत पंजीबद्ध छात्रों के प्रकरण पर अनुचित साधन समिति के निर्णयानुसार परीक्षाफल सूची की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय :

सेमेस्टर एवं वार्षिक/पूरक परीक्षा 2012 में अनुचित साधन के तहत पंजीबद्ध छात्रों के प्रकरण पर अनुचित साधन समिति के निर्णय अनुसार घोषित परीक्षाफल की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक–4

स्टेशनरी क्रय देयक रु. 9,40,050.00 भुगतान की स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार करना।

निर्णय :

स्टेशनरी क्रय देयक रुपये 9,40,050.00 (रुपए नौ लाख चालीस हजार पचास मात्र) के भुगतान करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–5

वार्षिक परीक्षा सत्र 2012–13 हेतु परीक्षा केन्द्र अग्रिम की प्रथम किश्त राशि रु. 1,14,80,000/– भुगतान का अनुमोदन एवं सूचना ग्रहण करना।

निर्णय :

वार्षिक परीक्षा सत्र 2012–13 हेतु परीक्षा केन्द्र अग्रिम प्रथम किश्त राशि रुपए 1,14,80,000.00 (एक करोड़ चौदह लाख अस्सी हजार) भुगतान करने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक–6

विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों का 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान (6th pay) का एरियर्स भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय :

विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों का दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान का एरियर्स भुगतान राशि रुपए 11,18,39,124.00 (ग्यारह करोड़ अठारह लाख उनचालीस हजार एक सौ चौबीस मात्र) की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक–7

विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियुक्ति एवं प्रक्रिया के संबंध में जानकारी एवं सूचना ग्रहण करना।

निर्णय :

विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रक्रिया के संबंध में दी गई जानकारी की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

विषय कमांक–8

48वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 का अनुमोदन करना।

निर्णय :

48वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 का अनुमोदन करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित बिंदुओं को यथासंभव शामिल किया जावे :

(i) विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी उल्लेख किया जाए।

(ii) विजन कमेटी की आयोजित बैठक एवं उसका निर्णय,

(iii) सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त आवेदनों में प्रकरण का क्षेत्रवार जानकारी,

(iv) न्यायालयीन प्रकरणों में प्रकरण के प्रकृति की जानकारी,

(v) परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की एकाएक वृद्धि, महिला एवं पुरुष का अनुपात,

(vi) विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों का अनुपात,

(vii) अन्य कोई ऐसे बिंदु जो नवाचार के संबंध में हो।

विषय कमांक–9

21 पी–एच.डी. शोधार्थियों की सूची का अनुमोदन करना।

निर्णय :

दिनांक 02.02.2013 से दिनांक 18.0202013 तक कुल 21 शोधार्थियों को पी–एच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए जारी की गई अधिसूचना की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

पूरक विषय सूची :

विषय कमांक–1

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.02.2013 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.02.2013 के कार्यवृत्त का निम्नलिखित निर्णय के साथ अनुमोदन किया गया :

(i) विषय कमांक 5 प्लेटिनम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, माना, रायपुर का नवीन पता, स्थान परिवर्तन संबंधी प्रकरण पर पुनः स्थान का निरीक्षण कर ली जाय।

(ii) ऐसे छात्रों को जो नेत्रहीन एवं मुकबधिर होने के बावजूद प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किए हैं, उनका स्थापना दिवस में सम्मान करते हुए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जावे।

विषय क्रमांक–2

विश्वविद्यालय परिसर में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन स्थापित करने पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय परिसर में कम्युनिटी रेडिया स्टेशन स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक–3

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की 'कुलगीत' रचना करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की 'कुलगीत' रचना संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संबंध में समिति का गठन किया गया –

(1) श्री राजकमल नायक
(2) श्री तेजिन्दर गगन
(3) श्रीमती ममता चंद्राकर
कुलसचिव, संयोजक होंगे।

विषय क्रमांक–4

डॉ. बिपिन चन्द्र शर्मा के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : डॉ. बिपिन चन्द्र शर्मा का छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश दिनांक 11.02.2013 द्वारा डायरेक्टर के पद पर प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश के उपरान्त उनके द्वारा कार्यमुक्त होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने संबंधी प्रकरण पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विस्तृत जानकारी भेजकर राजभवन से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाय।

विषय क्रमांक–5

श्री लब्ध प्रभास की सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति किये जाने का अनुमोदन करना।

निर्णय : श्री लब्ध प्रभास की सहायक प्राध्यापक, बायोसाइंस पद पर नियुक्ति किये जाने हेतु अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक–6

श्री जी.पी. पुरेना, कक्ष अधिकारी को चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : श्री जी.पी. पुरेना, कक्ष अधिकारी को शासन के नियमानुसार रुपए 98,000.00 (रुपए अन्ठान्वे हजार मात्र) अथवा वास्तविक व्यय जो कम हो की चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–7

वार्षिक परीक्षा 2012–13 में मूल्यांकन हेतु निर्धारित नोडल केन्द्रों को अग्रिम प्रदान करने की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : वार्षिक परीक्षा 2012–13 में मूल्यांकन हेतु निर्धारित मूल्यांकन केन्द्रों के लिए प्रस्तावित अग्रिम राशि रुपए 80,000,00.00 (रुपए अस्सी लाख मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई।

द्वितीय पूरक सूची :

विषय क्रमांक–8

शोध छात्रों के शिक्षण शुल्क के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **शोध छात्रों के द्वारा शोध हेतु पंजीयन होने के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत राशि शोध केन्द्रों पर एवं 50 प्रतिशत राशि विश्वविद्यालय में जमा करने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

विषय क्रमांक–9

छत्तीसगढ़ से कोरी उत्तरपुस्तिका मुद्रण कराने का देयक रु. 77,88,000.00 भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : **छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तरपुस्तिका मुद्रण कराने का देयक रुपए 77,88,000.00 (सतहत्तर लाख अठ्यासी हजार मात्र) भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

विषय क्रमांक–10

डिग्री प्रमाण पत्र एवं प्रिंटर क्रय करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **उपाधि प्रमाण पत्र एवं प्रिंटर क्रय करने के संबंध में केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसानुसार आफसेट प्रिंटिंग हाउस, सतना, मध्यप्रदेश से कराने का अनुमोदन किया गया।**

विषय क्रमांक–11

परिनियम 28 के तहत प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित महाविद्यालयों के दो बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **(i) परिनियम 28 के तहत बी.एम. कालेज, बालोद रोड, पुलगांव, दुर्ग में प्राचार्य की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसानुसार अनुशंसित डॉ. सुमन बलियान के नाम का अनुमोदन किया गया।**

(ii) परिनियम 28 के तहत जय हिन्द कालेज, महासमुंद में प्राचार्य की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसानुसार डॉ. वाई.के. राजपूत के नाम का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय :

(1) डॉ. संजय तिवारी द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 26.02.2013 कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने CAS के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु अपनी स्वीकृति दिया है। अतः कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 08.11.2012 में हुए निर्णय पर विचार करते हुए डॉ. संजय तिवारी का CAS के पद पर पदोन्नति को स्वीकार करने संबंधी पत्र को मान्य किया जावे।

उपरोक्त स्थिति में प्राध्यापक इलेक्ट्रानिक्स सीधी भर्ती के पद रिक्त होने के फलस्वरूप चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल में दूसरा नाम, डॉ. कविता ठाकुर का प्राध्यापक पद पर नियुक्ति का अनुमोदन इस शर्त पर किया गया कि डॉ. कविता ठाकुर द्वारा CAS के अन्तर्गत पदोन्नति नहीं होने संबंधी शिकायत वापस लेंगी।

(2) डॉ. मनीष कुमार राय द्वारा प्राप्त पत्र दिनांक 26.02.2013 में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत पदोन्नति संबंधी लिफाफा खोलने एवं पदोन्नति प्रदान करने के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 08.11.2012 के बिंदु कमांक 01 में लिए गए निर्णय को यथावत् रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय से त्वरित सुनवाई के लिए निवेदन किया जाय तथा उनकी पदोन्नति संबंधी लिफाफा माननीय न्यायालय के निर्णय आने के बाद निर्णयानुसार कार्यवाही किया जाए।

(3) विश्वविद्यालय में वर्ष 1997 के पूर्व के शेष 08(आठ) दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को नियमितिकरण विषयक प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

(4) डॉ. प्रभावती शुक्ला द्वारा कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत पदोन्नति मिलने के पश्चात् पुरानी तिथि से वरिष्ठता देने संबंधी प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि नियमानुसार परीक्षण कर कार्यवाही किया जावे।

(5) डॉ. मिनी शर्मा एवं डॉ. अंजना के एम.डी. परीक्षा के संबंध में प्रस्तुत प्रकरण पर निर्णय लिया कि प्रकरण डी.एम.ई. छत्तीसगढ़ शासन को अभिमत हेतु भेजी जावे।

(6) विश्वविद्यालय के रिकार्ड को सुरक्षित एवं संरक्षित रखते हुए समिति गठित कर आवश्यक कार्यवाही किया जाए।

सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव भी पारित किया गया –

(i) विश्वविद्यालय का उन्नीसवां दीक्षांत समारोह कुलपति के निर्देशन में सफलतापूर्वक एवं सुव्यवस्थित रुप से संपन्न हुआ, जिसके लिए कार्यपरिषद, कुलपति एवं उनके टीम को बधाई के साथ–साथ धन्यवाद ज्ञापित करता है।

(ii) 01 मई, 2013 से इस विश्वविद्यालय का 50वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। अतः इस बीच 01 मई, 2013 से 01 मई, 2014 के बीच माननीय राष्ट्रपति महोदय को आमंत्रित करने की कार्यवाही हेतु माननीय कुलाधिपति एवं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया जावे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई ।

(डॉ.एस.के पाण्डेय)
अध्यक्ष

(के.के. चन्द्राकर)
सचिव

पृ.क्रमांक 9736 / अका. / का.प. / 2013 रायपुर, दिनांक 04/3/2013

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।
3. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यो को ।
4. जनसम्पर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त अधिकारी / प्रभारी अंकेक्षण,
6. समस्त विभागीय अधिकारी,
7. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

4/3/13

उपकुलसचिव (अकादमिक)